



69

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 115T-3496-2016 II 16

श्री विनोद नागव, कौ  
द्वारा आज दि. 5-10-16 को  
प्रस्तुत

5-10-16  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

रोहणी प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र नाथू  
विश्वकर्मा, निवासी- ग्राम महुआर  
तहसील, थाना- अमिलिया, जिला  
सीधी (म.प्र.) ----आवेदक

विरुद्ध

संतोष कुमार विश्वकर्मा पुत्र  
रामलखन विश्वकर्मा, निवासी- ग्राम  
महुआर, थाना- अमिलिया, तहसील-  
सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

----अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील सिहावल, जिला  
सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-12/2015-16  
में पारित आदेश दिनांक 05/07/2016, के विरुद्ध  
म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के  
अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, आवेदक ग्राम महुआर तहसील सिहावल का निवासी होकर अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियों सर्वे क्र. 277/1 पर काबिल कास्त करते हुये चला आ रहा है।
2. यहकि, इसी सर्वे क्र. 277/1 से सटा हुआ सर्वे क्र. 279 है। इस सर्वे क्र. 279 की उत्तर पूर्व दिशा में आवेदक का सर्वे क्र. 277/1 है जिसमें आवेदक का मकान एवं कूप बना हुआ है।
3. यहकि, अनावेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील सिहावल में स्थित सर्वे क्र. 279 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया विद्वान अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 27/अ-12/2015-16 में आवेदक सरहदी कारतकार, हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना, सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये

विनोद नागव  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश  
ग्वालियर  
5-10-2016

(9)  
05.10.16

AT

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3496-21/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...  <del>सिहावल</del> के प्रकरण क्रमांक ...  आदेश दिनांक ... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <del>कुतुबपुर सीधी</del> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को <del>कुतुबपुर सीधी</del> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	